



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 339 राँची, मंगलवार,

28 जुलाई, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

28 जुलाई, 2020

विषय:- क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) सहित के सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने से संबंधित संकल्प सं०-2648/रा., दिनांक-18.07.2019 को रद्द करने के संबंध में।

संचिका संख्या-5/स०भू० (लातेहार)-01/2010-1839/रा०-- विभागीय संकल्प संख्या-2648, दिनांक-18.07.2019 द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न निजी कम्पनियों, निगम, बोर्ड आदि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत क्षतिपूरक वनरोपण कार्य हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को विभागीय परिपत्र संख्या-5888, दिनांक-10.11.16 की कंडिका-7 (ii) को संशोधित करते हुए राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया गया था।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-**22.07.2020** में मद संख्या-**32** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न निजी कम्पनियों, निगम, बोर्ड आदि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत क्षतिपूर्क वनरोपण कार्य हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ **Deemed Forest** (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने से संबंधित संकल्प सं-**2648/रा0**, दिनांक-**18.07.2019** द्वारा प्रत्यायोजित उपायुक्त की शक्ति को रद्द किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव
